कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद।

पत्रांक:भ–52/2014 दिनांक:अगस्त29,2014।

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक,
मै0 प्लेटिना रियल इस्टेट प्रा0लि0,,
खसरा न0–792/4,666,225 ग्राम नगर पालिका पिलखुवा (दिनेश नगर)
जनपद हापुड़।

विषयः खसरा न0–792/4, 666, 225 ग्राम नगर पालिका पिलखुवा (दिनेश नगर) जपपद हापुड में प्रस्तावित आवासीय भवनो के मानचित्रो पर प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ:यू0आई0डी0न0–2014/3010/एचएपीयू/हापुड/50/सीएफओ।

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्रानुसार प्रस्तावित आवासीय भवनो के मानचित्रो/अभिलेखो का परीक्षण एवं स्थलीय निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी हापुड जनपद हापुड द्वारा किया गया, उनकी आख्या दिनांकः 29.08.2014 का मेरे द्वारा परीशीलन किया गया, विवरण निम्नवत् है:–

भवन की संरचनाः–
1–कुल प्लाट एरिया–4069.00 वर्गमीटर (भवन ग्राउण्ड+तीन तलो तक प्रस्तावित है)
2–प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया–320.75 वर्गमीटर (ब्लाक–ए– I+II+III+iv प्रत्येक)
3–कुल कवर्ड एरिया–5132.00 वर्गमीटर
4–भवन की ऊँचाई–12.65 मीटर प्रस्तावित है।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड:–प्रश्नगत भवन के सभी तलो का अधिभोग एन0बी0सी0–2005 की आवासीय भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः–
1–पहुँच मार्गः–भूखण्ड के सामने 45 मीटर रोड की चौडाई मानचित्रो मे प्रदर्शित है।
2–प्रवेश द्वारः–प्रस्तावित भवन के प्रवेश द्वार की चौडाई 12 मीटर मानचित्रो मे प्रदर्शित है।
3–सैटबैकः–अग्रभग–6.00 मीटर,पृष्ठ भाग–5.00 मीटर,पार्श्व प्रथम–6.00 मीटर,पार्श्व द्वितीय–5.00 मीटर मानचित्रो मे प्रदर्शित है।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है, सैटबैक को सदैव अवरोधमुक्त रखना अनिवार्य होगा तथा सैटबैक मे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा।

4–निकास मार्गः–प्रस्तावित भवन मे एक स्टेयर जिसकी चौडाई 1.50 मीटर का प्राविधान प्रस्तावित है, जिसकी फ्लोर के समस्त स्थानो से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।
5–रिफ्यूज एरियाः–वांछनीय नही है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः–
1–फायर एक्सटिंग्यूशरः–प्रस्तावित भवन मे फायर एक्सटिंग्यूशर्स आईएसः2190 मानक के अनुसार वांछनीय है।
2–होजरीलः–प्रस्तावित भवन में होजरील मय लैण्डिंग वाल्व आईएसः844 के अनुसार वांछनीय है।
3–टेरेसपम्पः–प्रस्तावित भवन के टेरिस टैंक के पास 450 एलपीएम क्षमता का टेरेस पम्प स्थापित कराया जाना वांछनीय है।
4–टेरिस टैंकः–प्रस्तावित भवन की टेरिस पर 10,000 लीटर क्षमता का टेरिस टैंक स्थापित कराया जाना वांछनीय है।
5–एग्जिट साइनेजः–निर्माणोपरान्त सम्पूर्ण भवन मे एग्जिट साइनेज स्थापित कराये जाये।

उपरोक्तानुसार मै0 प्लेटिना रियल इस्टेट प्रा0लि0, द्वारा खसरा न0–792/4,666,225 ग्राम नगर पालिका पिलखुवा(दिनेश नगर) जनपद हापुड मे प्रस्तावित भवन के मानचित्रो पर प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई मे अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 तथा एन0बी0सी0–2005 मे उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेगें तथा भवन निर्माण उपरान्त भवन का प्रयोग करने से पूर्व भवन मे अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाऐं मानको के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर पूर्णता अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा, अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

29/8

(ए0पी0सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गाजियाबाद।

प्रतिलिपिः उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को कृपया सादर सूचनार्थ सेवा में प्रेषित है।
2– अग्निशमन अधिकारी हापुड, जनपद हापुड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।